उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-40/2016/473/92-2-16-02आरई/2010

लखनऊ:: दिनांक:: 01 अगस्त,2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा को मा0 मंत्रीजी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के जनपद आगरा के भ्रमण पर उनके आगमन से प्रस्थान तक प्रोटोकाल का अनुपालन न करने, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में कराये गये कार्यो के अंतिम बीजक बिल प्रखण्ड-कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत न करने, उच्चाधिकारियों के निरन्तर आदेशो के उपरान्त शासकीय कार्य में विलम्ब करने, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना में लापरवाही बरतने, मा0 उच्च न्यायालय खण्ड-पीठ, लखनऊ में पैरवी आदि की कार्यवाही न करने एवं अन्य अनियमितताओं के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-106/62-3-10-2आरई/2010 दिनांक 19 फरवरी, 2010 द्वारा कारण बताओ नोटिस देते हुए 15 दिनों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये थे। श्री सुरेश कुमार कुलश्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा अपने पत्र दिनांक 08-02-2016 के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर शासन को उपलब्ध कराया गया।

2- श्री सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये कारण बताओ नोटिस के उत्तर एवं उक्त के साथ संलग्न किये गये साक्ष्यो के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि श्री सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा द्वारा किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नही की गयी है। अतएव श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रदत्त उत्तर एवं साक्ष्यों से संतुष्ट होते हुये इनके विरूद्व प्रचलित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने का श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-40 / 2016 / 473 / 92-2-16 तद्दिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा।
3- श्री सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0 विभाग, 28 लक्ष्मणनगर, खेरिया रोड, आगरा-282001
4- अनुभाग अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।